न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बइजलास ममता कुमारी तिवारी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 125/2024/अपील/एलआरएक्ट/कोटा
दायरा दिनांक 24.05.2024
अन्तर्गत धाराः 75 राज0 भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

1. मांगीलाल आत्मज रामप्रसाद
2. प्रेम बिहारी आत्मज रामप्रसाद
3. सत्यनारायण आत्मज रामप्रसाद
4. रामरतन आत्मज रामप्रसाद
5. माखन बिहारी आत्मज रामप्रसाद

जाति मीणा निवासीगण रीछाहेड़ी तहसील दीगोद, जिला कोटा

...अपीलार्थीगण

बनाम

1. महावीर प्रसाद आत्मज घांसीलाल जाति मीणा निवासी रीछाहेडी तहसील दीगोद, जिला कोटा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद, जिला कोटा

...रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री बलराम शर्मा अभिभाषक – अपीलार्थीगण
श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत अभिभाषक – रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 25.06.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय तहसीलदार, दीगोद (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या 7/2023 बउनवान महावीर प्रसाद बनाम मांगीलाल वगे0 में पारित निर्णय दिनांक 16.05.2024 (आदेशिका अनुसार निर्णय दिनांक 21.05.2024) के विरूद्ध अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो0 महावीर प्रसाद आत्मज घांसीलाल द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 31.5.23 को प्रार्थना पत्र वास्ते वसीयत प्रार्थी के पक्ष में इंतकाल दर्ज करवाने बाबत पेश किया। प्रार्थना पत्र में अवगत करवाया कि

25/06/2025
अति. सं. आयुक्त

प्रार्थी के पक्ष में दिनांक 14.8.20 को चमेली बाई पत्नी घासीलाल जाति मीणा निवासी रीछाहेडी द्वारा एक वसीयतनामा आलेखित किया गया, जिसमे चमेली बाई द्वारा ग्राम सुरेला के खाता स० पुराना 42, नया 48 में स्थित ख0न0 193/660 रकबा 0.89 है0, खसरा सं0 194 रकबा 1.16 है0, खसरा सं0 200 रकबा 6.70 है0, खसरा सं0 514 रकबा 1.61 है0, खसरा सं0 519 रकबा 1.41 है0, खसरा सं0 628 रकबा 0.96 है0, कुल किता 6 रकबा 12.73 है0 तथा ग्राम रीछाहेडी में खाता स० 13, ख0न0 14 रकबा 3.40 है0, खसरा सं0 14/286 रकबा 0.06 है0, खसरा सं0 15/293 रकबा 0.15 है0, 53 रकबा 0.08 है0, खसरा सं0 148 रकबा 0.27 है0, खसरा सं0 230 रकबा 1.77 है0, खसरा सं0 232 रकबा 3.35 है0, खसरा सं0 270 रकबा 2.74 है0 कुल 8 किता रकबा 11.82 है0 भूमि में प्रार्थी का हिस्सा निहित है। चमेली बाई पत्नी घासीलाल लाऔलाद फौत हुई थी, चमेली बाई के पति घासीलाल द्वारा महावीर प्रसाद को बचपन से ही गोद पुत्र के रूप में लिया गया था। घासीलाल की मृत्यु के बाद चमेली बाई द्वारा महावीर प्रसाद को वसीयत आलेखित की गई। अतः ग्राम सुरेला, रीछाहेडी की भूमि पर चमेली बाई के हिस्से पर प्रार्थी महावीर प्रसाद का नाम इंतकाल द्वारा दर्ज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र के संदर्भ में खातेदार चमेलीबाई पत्नी घांसीलाल जाति मीनाा निवासी रीछाहेडी के हिस्से 1/2 पर खातेदारी भूमि में मुताबिक वसीयत महावीर प्रसाद गोद पुत्र घांसीलाल जाति मीणा निवासी रीछाहेडी के नाम दर्ज किये जाने का निर्णय दिनांक 21.05.2024 पारित किया गया।

2. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.05.2024 से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत अपील पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तहसील दीगोद का निर्णय दिनांक 21.5.2024 विधि एवं न्याय संचिका में प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरित होने के कारण निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने सरसरी तौर पर एकतरफा कार्यवाही करते हुये फर्जी कूटरचित वसीयत को प्रमाणित मानकर चमेली बाई के स्थान पर रेस्पो० नं० 1 का नाम अंकित करने का निर्णय पारित करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि खातेदार घांसीलाल के कोई संतान नहीं थी, उसकी पत्नी चमेली बाई थी दोनों ही लाऔलाद फोत हुये। घांसीलाल जी ने रेस्पो० को गोद नहीं रखा इस कारण घासीलाल जी की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी चमेली बाई के नाम भूमि दर्ज की गयी यदि घांसीलाल जी ने अपनी पत्नी चमेली बाई की स्वीकृति से रेस्पो० न० 1 को गोद रखते तो घांसीलाल जी की मृत्यु के बाद रेस्पो० का नाम चमेली बाई के साथ आवश्यक रूप से दर्ज होता किन्तु उक्त भूमि घांसीलाल जी की मृत्यु के बाद चमेली बाई के नाम ही दर्ज की। इससे यह सिद्ध है कि रेस्पो०नं० 1 घांसीलाल जी का गोद पुत्र नही है। अधीनस्थ

25/06/2025
अति. संभा. आयुक्त
कोटा

न्यायालय ने अपने निर्णय मे एक तरफ तो रेस्पा० नं० 1 को घांसीलाल जी द्वारा गोद लेना अंकित किया है किन्तु यह नहीं लिखा कि घासीलाल जी ने कब रेस्पो० नं० 1 को गोद रखा दूसरी ओर अपने ही निर्णय में आगे लिखा कि "घांसीलाल जी की मृत्यु के बाद चमेली बाई का नाम दर्ज होने के बाद चमेली बाई द्वारा महावीर प्रसाद रेस्पो० नं01 को गोद पुत्र रखने व उसकी सेवा से प्रसन्न होकर वसीयत आलेखित की गयी।" दोनों बाते अलग है सत्यता तो यह है कि घासीलाल व चमेली बाई ने महावीर प्रसाद रेस्पो० नं० 1 को कभी भी गोद नही रखा और न गोदपुत्र बनाया। विवादित भूमि पर अपीलार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा कथित वसीयत दिनांक 14.8.2020 फर्जी बनावटी व कूट रचित दस्तावेज है। पक्षकारान जाति से मीणा है, जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है इस कारण चमेली बाई उसकी भूमि को अपने जीवन काल तक उपयोग व उपभोग कर सकती है चमेली बाई को विवादित भूमि को बैचान बेचान करने का कोई अधिकार नहीं है। चमेली बाई के जीवनकाल मे ही दोनो पक्षकारान के मध्य एक राजीनामा घांसीलाल जी की भूमि के बाबत लिखा गया जिसमें आधी–आधी की गयी थी। जिसके बाबत रेगूलर वाद भी विचाराधीन है वैसे भी उक्त भूमि पुश्तैनी है, जिसकी वसीयत नहीं की जा सकती है। इस कारण पारित आदेश निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 03.12.23 को गवाह चौथमल के बयान लेख बद्ध किये थे उक्त बयान को तहसीलदार दीगोद, महावीर रेस्पो0नं0 1 व उसके अधिवक्ता भारत शर्मा द्वारा न्यायालय हाजा की पत्रावली मे से निकाल कर हटा दिये गये इस कारण दिनांक 14.12.2023 को गवाह चौथमल को पुनः तलब करने हेतु अधिवक्ता भारत शर्मा द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जो शामिल पत्रावली किया गया जब कि निर्णय में अंकित किया गया कि गवाह चौथमल ने साक्ष्य देने से इन्कार कर दिया इस प्रकार रेस्पो०नं० 1 के अधिवक्ता भारत शर्मा द्वारा सरकारी रिकार्ड को निकालकर अदालत की तोहिन की है तथा पीठासीन अधिकारी द्वारा अपने पद का भारत शर्मा एडवोकेट से मिल कर अपने अधिकारों का दुरूयोग किया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दीगोद में पक्षकारान प्रत्येक पेशी पर स्वयं व उसके अधिवक्ता तारीख पेशी पर उपस्थित होने के उपरान्त भी उनकी अनुपस्थिती दर्ज की जाती रही ही है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तथाकथित वसीयत फर्जी व बनावटी व कूटरचित पेश की गयी है, जिसे विधि के नियमों के तहत प्रमाणित नही की गयी है तथा गवाहान से अपीलान्टान को जिरह का अवसर भी नही दिया गया इसके बावजूद भी वसीयत के आधार पर रेस्पो०नं० 1 का नाम मृतक चमेली बाई के स्थान पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का निर्णय पारित करने में विधिक भूल की है, जो खारिज होने योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 21.05.2024 निरस्त फरमाया जावे।

25/06/2025

अति. सं. आयुक्त
कोटा

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है उसके प्रथम पृष्ठ पर दिनांक 16.05.2024 अंकित की गई है तथा निर्णय जारी करने की दिनांक 21.05.2024 अंकित की गई हैं। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 135(2) के अन्तर्गत निर्णय पारित किये जाने से पूर्व अपीलार्थीगण का सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 के द्वारा असल वसीयत पेश नहीं की गई। कथित वसीयत दिनांक 14.8.2020 फर्जी बनावटी व कूटरचित दस्तावेज है। पक्षकारान जाति से मीणा है, जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है इस कारण चमेली बाई उसकी भूमि को अपने जीवन काल तक उपयोग व उपभोग कर सकती है चमेली बाई को विवादित भूमि को बैचान बेचान करने का कोई अधिकार नहीं है। चमेली बाई के जीवनकाल मे ही दोनो पक्षकारान के मध्य एक राजीनामा घांसीलाल जी की भूमि के बाबत लिखा गया जिसमें आधी–आधी की गयी थी। जिसके बाबत नियमित वाद भी विचाराधीन है वैसे भी उक्त भूमि पुश्तैनी है, जिसकी वसीयत नहीं की जा सकती है। इस कारण पारित आदेश निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 03.12.23 को गवाह चौथमल के बयान लेख बद्ध किये थे उक्त बयान को तहसीलदार दीगोद, महावीर रेस्पो0नं0 1 व उसके अधिवक्ता भारत शर्मा द्वारा न्यायालय हाजा की पत्रावली मे से निकाल कर हटा दिये गये इस कारण दिनांक 14.12.2023 को गवाह चौथमल को पुनः तलब करने हेतु अधिवक्ता भारत शर्मा द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जो शामिल पत्रावली किया गया जबकि निर्णय में अंकित किया गया कि गवाह चौथमल ने साक्ष्य देने से इन्कार कर दिया। इस प्रकार उक्त कूटरचित वसीयत के गवाह चौथमल के बयान पत्रावली के गायब किये जा चुके हैं, जो कि प्रकरण में अतिआवश्यक थे। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा लक्ष्मीचंद के बयान दिनांक 08.11.2023 को लेखबद्ध करवाये गये। जिसमें लक्ष्मीचंद द्वारा उक्त कूटरचित वसीयत दिनांक 14.08.2020 को रेस्पो0 के पक्ष में किया जाना जाहिर किया था, जबकि लक्ष्मीचंद उक्त वसीयम में गवाह अंकित नहीं है। इस प्रकार कूटरचित वसीयत में उल्लेखित दोनों गवाहें के बयान अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तथाकथित वसीयत फर्जी व बनावटी व कूटरचित पेश की गयी है, जिसे विधि के नियमों के तहत प्रमाणित नही की गयी

25/06/2025
अति. सं. आयुक्त
कोटा

है और न हीं गोदपुत्र होने का कोई साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष था। ऐसी स्थिति में उक्त कूटरचित वसीयत के आधार अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.05.2024 न्यायोचित हैं। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 21.05.2024 को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया। अपने पक्ष के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत **RRT 2011(2) Page No. 1387, RBJ (27) 2020 Page No. 198, 2020 RBJ 341, 2020 DNJ [SC] Page No. 145, 2023(4) DNJ [SC] Page No. 1148, RRT 2011(1) Page No. 581, 2016 DNJ [SC] Page No. 1016, 2010 DNJ [SC] Page No. 414, 642,RRT 2024 (1) Page No. 25, DNJ (SC) 2003(3) Page No. 765, 2016(3) DNJ [Raj.] Page No. 1191, RRT 2017(2) Page No. 907** पेश किये।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपने पक्ष के समर्थन में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 21.05.2024 उचित हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने स्वयं अपने निर्णय में पत्रावली में उपलब्ध समस्त साक्ष्य दस्तावेजों के अवलोकन उपरांत ही रेस्पो0 के पक्ष में निर्णय पारित किया गया है। वादग्रस्त आराजी पर अपीलार्थीण का कोई हक अधिकार हक निहित नहीं है। अपीलार्थीगण का कथन रहा है कि गवाह चौथमल के बयाने पत्रावली में से गायब किये गये है, तो ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण को चौथमल के बयानों की प्रति पेश की जानी चाहिए। खातेदार चमेली बाई पत्नी घासीलाल लाऔलाद फौत हुई थी, चमेली बाई के पति घासीलाल द्वारा महावीर प्रसाद को बचपन से ही गोद पुत्र के रूप में लिया गया था। घासीलाल की मृत्यु के बाद चमेली बाई द्वारा महावीर प्रसाद को वसीयत आलेखित की गई है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत आराजी का वारिस रेस्पो0 महावीर प्रसाद ही था। अतः अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर खारिज की जावे।

6. हमने अपील पत्रावली का अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 महावीर प्रसाद आत्मज घांसीलाल के द्वारा अपंजीकृत वसीयत की फोटोप्रति पेश की गई, जिसकी प्रमाणिकता की जांच आवश्यक थी। दोनों गवाहों द्वारा भी वसीयत को तस्दीक नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 महावीर प्रसाद आत्मज घांसीलाल के द्वारा दिनांक 14.12.2023 को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र से प्रकट होता है कि चौथमल द्वारा बयान दिये गये जिसे रिकॉर्ड पर नहीं लिये जाने हेतु अनुरोध किया गया। दिनांक 15.05.2024 से यह प्रार्थना–पत्र विड्रॉ कर लिया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि एक गवाह चौथमल द्वारा बयान दिये गए जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया

25/06/2025
अति. सं. आयुक्त

जाना प्रकट होता है, जो विधिविरूद्ध है। पटवारी हल्का द्वारा आराजी पुश्तैनी होना प्रकट किया गया तथा नियमित राजस्व वाद जैरकार होना भी प्रमाणित होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करना त्रुटिपूर्ण है। प्रकरण में मीणा जाति की विधवा महिला की सम्पत्ति जिसे पटवारी हलका द्वारा पुश्तैनी बताया गया है, के संबंध में हक नियमित राजस्व वाद में तय होंगे। इस प्रकार अपंजीकृत वसीयत की फोटो प्रति तथा बिना गवाहों की तस्दीक हुए एवं एक गवाह के बयान रिकॉर्ड से हटाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय करना त्रुटिपूर्ण एवं विधिविरूद्ध होने से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है। लिहाजा अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय दीगोद द्वारा प्रकरण संख्या 7/2023 बउनवान महावीर प्रसाद बनाम मांगीलाल वगे0 में पारित निर्णय दिनांक 21.05.2024 अपास्त किया जाता है। प्रकरण में उभयपक्ष के हक नियमित राजस्व वाद में तय होंगे।

7. निर्णय आज दिनांक 25.06.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे इजलास सुनाया गया।

25/06/2025

(ममता कुमारी तिवारी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा